प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 05/2024

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
जेठाराम पुत्र गंगाराम निवासी– बुटेलाव, मोडा का बास, तहसील सोजत जिला पाली।		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी(अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 28 अक्टूबर,2024

अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 29.08.2024 को प्रेषित आवेदन में आबादी भूमि प्लाट पर पडौसी द्वारा जबरन अवैध मकान बनाने, सरपंच की मिली भगत होने के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक 1217 दिनांक 18.9.2020 पर कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधुर द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। आवेदन अनुसार एक माह व्यतित हो जाने के पश्चात भी वांछित सूचनाए नहीं दिये जाने के आधार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.10.2024 को यह प्रथम सूचना अपील प्रेषित कर लोक सूचना अधिकारी को उपरोक्त सूचनाएं निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश देने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा सुनवाई हेतु दिनांक 28.10.2024 नियत की जाकर तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथी को अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए।

सभागीय आयुक्त
जोधपुर

सूचना अधिकार अपील संख्या 05 / 2024 जेठाराम बनाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपीलान्ट की अपील पर लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्रांक एडीसी / सू0अ0 / प्र.अ. / 2024 / 155 दिनांक 24.10.2024 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2024 बाबत पंचायत शाखा कार्यालय की टिप्पणी अनुसार आवेदित प्रकरण की पत्रावली नवसृजित पाली सम्भाग का रेकर्ड कार्यालय के पत्रांक 445 दिनांक 23.8.2023 को सम्भागीय आयुक्त कार्यालय को भिजवाया जा चुका है। पंचायत शाखा से प्राप्त उक्त सूचना अनुसार आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्रांक 144 दिनांक 4.10.2024 के द्वारा वांछित सूचना सम्भागीय आयुक्त कार्यालय पाली से प्राप्त किये जाने हेतु अवगत करवा दिया गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि आवेदक / प्रार्थी के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2024 बाबत कार्यालय की पंचायत शाखा से प्राप्त टिप्पणी अनुसार आवेदक के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित प्रकरण पत्रावली नवसृजित पाली सम्भाग का होने से सम्पूर्ण रेकर्ड कार्यालय के पत्रांक 445 दिनांक 23.8.2023 को सम्भागीय आयुक्त कार्यालय पाली को भिजवाया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा पंचायत शाखा से प्राप्त उक्त सूचना अनुसार आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्रांक 144 दिनांक 4.10.2024 के द्वारा वांछित सूचना सम्भागीय आयुक्त कार्यालय पाली से प्राप्त किये जाने हेतु अवगत करवाया जा चुका है, अपीलान्ट वांछित सूचनाएं सम्भागीय आयुक्त पाली से प्राप्त करने हेतु नये सिरे से उनके कार्यालय में आवेदन करते हुए सूचना प्राप्त कर सकता है।

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर